**चुनाव सुधारों के संबंध में निर्वाचन आयोग के सुझाव**

2660. प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधारों के संबंध में सरकार को क्या सुझाव दिए हैं ;

(ख) इन सुझावों के संबंध में सरकार की क्या नीति है ; और

(ग) सरकार ने इन सुझावों के संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज)** : (क) निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन सुधारों के संबंध में सरकार को दिए गए मुख्य सुझाव एक विवरण में अंतर्विष्ट हैं, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है **(नीचे देखिए)** ।

(ख) सरकार सामान्यतया निर्वाचन आयोग के उन्हीं सुझावों को स्वीकार करती है जिन पर राजनीतिक दलों के बीच मंतव्य होता है ।

(ग) आयोग के निर्वाचन सुधारों के संबंध में ऐसे सुझावों को, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, कार्यान्वित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1994 और निर्वाचन आयोग (भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय) विधेयक, 1994 लोक सभा में पुरः स्थापित किए गए हैं । सरकार ने निर्वाचन पर होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 को भी संशोधित किया है ।

विवरण

**निर्वाचन सुधारों के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव**

1. निर्वाचन आयोग, एक सदस्यीय निकाय होना चाहिए ।
2. निर्वाचन आयोग का एक स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए और आयोग का व्यय "भारित" होना चाहिए न कि "अनुदत्त" ।
3. निर्वाचक नामावलियों को प्रत्येक अनुकल्पी वर्ष में गहन रूप से पुनरीक्षित किया जाना चाहिए और अन्य वर्षों में उनका संक्षिप्त पुनरीक्षण जारी रहना चाहिए ।
4. संबद्ध प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को बहु-उद्देशीय पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए और निर्वाचनों सहित जहां कहीं भी प्रत्याधारक की पहचान जानने के लिए अपेक्षित हो, वहां ऐसे पहचान-पत्रों को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया जाए ।
5. संबद्ध जिला निर्वाचन आफिसर से कानूनी रूप से परामर्श करने की अपेक्षा की जानी चाहिए और उसे इस बात के लिए सशक्त किया जाना चाहिए कि निर्वाचनों के लिए पुलिस व्यवस्था में उसकी राय हो ।
6. राजनीति के ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए जो फरार उद्घोषित व्यक्तियों को संश्रय देते हैं और उनके साथ खुलेआम देखे जाते हैं । जब निर्वाचन सन्निकट हो या उसकी प्रक्रिया चल रही हो तब दोषसिद्ध अपराधियों को पैरोल मंजूर करने या उनके देशनिकाले का परिहार करने की शक्ति का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए ।
7. मतपेटियों या इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीन को अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखने और मतपत्रों को अप्राधिकृत रूप से मुद्रित किए जाने को संज्ञेय अपराध बना दिया जाना चाहिए ।
8. प्रतिभूति निक्षेप की रकम में वृद्धि सभी अभ्यर्थियों के लिए होनी चाहिए ।
9. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कम से कम 10 प्रस्तावक होने चाहिए, जो विभिन्न मतदान क्षेत्रों से होने चाहिए ।
10. किसी भी अभ्यर्थी को एक से अधिक निर्वाचनक्षेत्र से निर्वाचन लड़ने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए ।
11. निर्वाचन व्ययों तथा विधि और व्यवस्था को बनाए रखने पर प्रशासनिक खर्चों को कम करने के लिए प्रचार की अवधि को 20 दिन से घटा कर 14 दिन कर दी जानी चाहिए ।

12. निर्वाचन आयोग को रिटर्निंग आफिसर की सूचना के बिना भी बूथों का बलात् ग्रहण के कारण निर्वाचन प्रत्यादिष्ट करने के लिए सशक्त किया जाए ।

13. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल प्रत्येक वर्ष अपने लेखाओं को प्रकाशित करे और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकरणों द्वारा उनकी लेखापरीक्षा की जानी चाहिए ।

14. निर्वाचन व्ययों के सही लेखाओं का न रखा जाना या विहित समय के भीतर और रीति से इसकी सही प्रति को प्रस्तुत न किया जाना, कारावास तथा जुर्माने से दंडनीय होना चाहिए और दोषसिद्धि पर अभ्यर्थी को छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए ।

15. ऐसे अभ्यर्थी को जो विहित समय के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, स्वतः ही पांच वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित समझा जाना चाहिए ।

16. आदर्श आचार संहिता के अतिक्रमण का परिणाम यह होना चाहिए कि उस अभ्यर्थी का निर्वाचन जिसके पक्ष में या जिसकी सम्पत्ति से या जिसके मौनानुकूलता से अधिक्रमण कारित हुआ था, शून्य घोषित किया जाना चाहिए और उस अभ्यर्थी (यों) को छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए ।

17. राजनैतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क में विद्यमान उपबंधों को हटाया नहीं जाना चाहिए और यदि कोई दल इस धारा के अधीन दिए गए वचनबंध का अतिक्रमण करता है तो उसका रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने के लिए एक विनिर्दिष्ट उपबंध होना चाहिए । रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित होगी ।

18. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 के उपबंध संविधान के अनुच्छेद 324 के उपबंधों का अतिक्रमण करते हैं और उसके प्रतिकूल हैं । अतः नियम बनाने का प्राधिकार पूर्णतया निर्वाचन आयोग को प्रदत्त किया जाना चाहिए । तथापि, निर्वाचन आयोग केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा । इस प्रकार बनाए गए नियमों को सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है ।

19. मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में नामनिर्दिष्ट या पदाभिहित किए गए अधिकारी को निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के सिवाय किसी अन्य कार्य को करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए ।

20. निर्वाचन व्यय के संबंध में 1974 से पूर्व की स्थिति को बनाए रखा जाए ।

21. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 में यथाअधिकथित निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा में वृद्धि की जानी चाहिए ।

22. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1991 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा ।

23. निर्वाचन आयोग को सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध जब वे निर्वाचन संबंधी कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्तियां दी जानी चाहिएं ।

### तलाक के लंबित मामले

**2661. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में तलाक से संबंधित कुल कितने मामले विचाराधीन हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामले निपटाए गए ;

(ग) शेष लंबित मामले कब तक निपटा दिए जाएंगे ; और

(घ) उक्त तारीख की स्थिति के अनुसार, गुजरात में दायर किए गए तलाक संबंधी मामलों की जिलावार संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले को निपटाने और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है ?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज)** : (क) और (ख) विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)** ।

(ग) इन मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।